

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी

पत्रांक - 1937 /29-1 दिनांक, वाराणसी, दिसंबर, 2020

जनवरी 01

सेवा में,

मै0 ओबरा सी बदायूं ट्रान्समिशन लि0
हाउस सं0 116, ग्रीन पार्क,
बीसालपुर रोड, बरेली।

विषय: ओबरा सी बदायूं ट्रान्समिशन लि0 द्वारा प्रभावित 400 के0वी0 डबल सर्किट जौनपुर-ओबरा पारेषण लाइन के निर्माण में वाराणसी वन प्रभाग में प्रभावित 0.265 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा प्रभावित 3 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (Online Proposal No. FP/UP/Trans/40906/2019)

सन्दर्भ: भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या सं0-8बी/यू0पी0/04/90/2020/एफ0सी0/1071 दिनांक-07.12.2020।

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र जो आपको एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, के द्वारा विषयक प्रस्ताव के सापेक्ष कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश जारी की गयी है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के निर्देशानुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 तथा प्रस्तावित लाईन के नीचे बौने (मुख्यतः औषधीय) पौधों के रोपण आदि की धनराशि e-portal के माध्यम से जमा कर एवं समस्त शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या पूर्ण कर चार प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें:-

1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 180.57 ha degraded forest land (94 ha in village - Bela, Tehsil- Marihan, District Mirzapur, 5 ha in village - Patehwa, Tehsil- Dala, District - Sonbhadra, 80.00ha. in village - Bhaiswar, Khairatiya, Mohani, Tehsil - Ghorawal, District - Mirzapur, 0.53 ha in village - Kapsethi, Tehsil- Varanasi, District- Varanasi, 1.04 ha along Lumbani Duddhi Road between km 268 to 270, District Jaunpur) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वाराणसी वन प्रभाग द्वारा वाराणसी भदोही रेल मार्ग कि0मी0 200 से 202 के मध्य, वाराणसी रेंज के अन्तर्गत 0.53 हे0 अवनत वन भूमि पर स्थानीय देशी प्रजाति के वृक्षों का मिश्रित वृक्षारोपण किया जायेगा तथा मोनो कल्चर नहीं किया जायेगा।
3	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	परियोजना में प्रभावित हो रही 0.265 हे0 वन भूमि के दोगुने क्षेत्रफल अर्थात 0.53 हे0 वन भूमि में दस वर्षों तक रखरखाव सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रु0 2,20,592/- (दो लाख बीस हजार पाँच सौ बानबे मात्र) की धनराशि ई पोर्टल https://parivesh.nic.in/ के माध्यम से कैम्पा फण्ड, नई दिल्ली में जमा करायें।

4	The State Government shall charge the Net Present Value(NPV) for the 89.632 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006- FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.	परियोजना में प्रभावित हो रही 0.265 हे० वन भूमि का एन०पी०वी० रु० 1,65,890/- (एक लाख पैंसठ हजार आठ सौ नब्बे मात्र) की धनराशि ई-पोर्टल https://parivesh.nic.in/ के माध्यम से कैम्पा फण्ड,नई दिल्ली में जमा कराये।
5	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि भविष्य में यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी ।
6	User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पारेषण लाइन के निर्माण हेतु प्रभावित वन भूमि में बाधक/पातन किये जाने वाले वृक्षों में से न्यूनतम /अपरिहार्य वृक्षों का ही पातन कराया जाय तथा बाधक वृक्षों का पातन वन विभाग की निगरानी में उ०प्र० वन निगम द्वारा किया जायेगा एवं पातन की विभिन्न प्रक्रिया हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा कटिंग/फेलिंग एवं ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज का भुगतान उ०प्र० वन निगम को कराना होगा। वृक्षों के छपान का व्यय का भुगतान प्रस्तावक विभाग द्वारा वाराणसी वन प्रभाग को कराना होगा।
7	The User agency in consultation with the State Forest Department prepare a detailed scheme for creation and maintenance of plantation of dwarf species (preferably medicinal plants) in right of way under the transmission line for execution of the said scheme to the State Forest Department.	पारेषण लाइन के नीचे 1 हे० पर बौनी प्रजातियों मुख्यतः औषधीय पौधों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक प्राक्कलित धनराशि रु० 4,95,992/- (चार लाख पंचानवे हजार नौ सौ बानबे मात्र) की धनराशि ई-पोर्टल https://parivesh.nic.in/ के माध्यम से कैम्पा फण्ड, नई दिल्ली में जमा कराये।
8	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्ण विवरण सहित वन अधिकार अधिनियम 2006 का जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये।
9	The user agency at its cost shall provide bird deflector, which are to be fixed on upper conductor of transmission line at suitable intervals to avoid bird hits.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वे आपनी लागत पर पक्षी निक्षेपको (bird deflector) का उपयोग उपयुक्त अंतराल पर पारेषण लाइन के ऊपरी कंडक्टर में करेंगे।

10	The User Agency shall comply with the guidelines for laying transmission lines through forest areas issued by Ministry vide letter no. 7-25/2012-FC dated 05/05/2014 & 19/11/2014.	प्रयोक्ता अभिकरण को वन क्षेत्र में पारेषण लाइन बिछाने के दौरान भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या सं० 7-25/2012 एफ० सी०, दिनांक 05.05.2014 एवं 19.11.2014 के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
11	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	प्रयोक्ता अभिकरण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत यदि आवश्यक हो तो अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।
12	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित परियोजना का ले-आउट प्लान भारत सरकार के पूर्व अनुमति के बिना नहीं बदला जायेगा सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
13	No labour camp shall be established on the forest land.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि पारेषण लाइन निर्माण के दौरान कार्यरत श्रमिकों का वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।
14	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि पारेषण लाइन निर्माण के दौरान कार्यरत श्रमिकों हेतु पर्याप्त जलाऊ लकड़ी, अन्य वैकल्पिक ईंधन कय कर श्रमिकों को उपलब्ध कराया जायेगा।
15	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, के निर्देशानुसार गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रस्तावित वन भूमि की सीमा को परियोजना की लागत पर समुचित रूप से सीमांकित किया जाय।
16	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त अथवा नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
17	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	परियोजना का प्रस्तावित अवधि या दी जाने वाले पट्टे की अवधि, जो भी कम हो, पर लागू होगा।
18	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा कि प्रस्तावित परियोजना के अलावा अन्य किसी भी उद्देश्य/प्रयोजन हेतु प्रभावित वन भूमि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा।
19	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा की प्रस्तावित वन भूमि को किसी भी परिस्थिति में अन्य किसी भी विभाग, व्यक्ति अथवा संस्था को भारत सरकार के पूर्व अनुमति के बिना हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।

20	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11- 42/2017-FC dt 29/01/2018.	सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा, तदनुसार भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की दिशा निर्देश एफ0सं0-11-42/2017-एफ0सी0/1071 दिनांक- 29.01.2018 के अनुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
21	Undertaking to be given by the user agency for not initiating any works in Protected Area (PA) till clearance from NBWL is obtained. Concerned DFO should ensure that no works are executed in protected area (PA) till NBWL clearance is obtained.	वाराणसी वन प्रभाग में लागु नहीं है।
22	If, clearance from NBWL is not granted then this In Principal approval shall stand revoked impromptu and no claim shall be made by user agency for works done in area outside protected area (PA).	वाराणसी वन प्रभाग में लागु नहीं है।
23	DFO should certify that No works are executed in violation to Forest (Conservation) Act, 1980 in the said proposal.	प्रयोक्ता अभिकरण यह सुनिश्चित करें कि प्रस्ताव में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन न हो।
24	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा और विकास के लिये समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
25	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समस्त धनराशि ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से केवल CAMPA फंड में हस्तांतरित/ जमा की जायेगी।
26	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in).	अनुपालन आख्या ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जाएगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

प्रभागीय वन अधिकारी
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी

संख्या 1937 / समदिनांक

1 प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2 प्रतिलिपि-वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वन अधिकारी
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी

कार्यालय : प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर।

पत्रांक 1879 /14-16 दिनांक जौनपुर दिसम्बर, 11, 2020

सेवा में,

एसोसिएट मैनेजर, प्रोजेक्ट
ओबरा-सी बड़ौन ट्रान्समिशन लिमिटेड,
आनन्द निकेतन, नई दिल्ली-110021।

आनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Trans/40906/2019

विषय:- जनपद जौनपुर में ओबरा-सी बड़ाये ट्रान्समिशन लिमिटेड, द्वारा प्रस्तावित ग्रामों/क्रासिंग मार्गों के अन्तर्गत 400 क्वाड्रीट डी0सी0 जौनपुर-ओबरा ट्रान्समिशन लाइन बिछाने हेतु भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ:- पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का (सैद्धान्तिक स्वीकृति) पत्रांक संख्या-8वी/यू.पी. /04/90/2020/एफ0सी0/1071 दिनांक 07.12.2020।
महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जो आपको पृष्ठांकित है। उक्त पत्र में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कतिपय शर्तों के साथ संरक्षित भूमि पर विषयगत 400 क्वाड्रीट डी0सी0 जौनपुर-ओबरा ट्रान्समिशन लाइन बिछाने हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतः अनुरोध है कि उक्त शर्तों को पूरा करने हेतु निम्न प्रकार कार्यवाही करते हुए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) क्षतिपूर्क वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमत्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority) उ0प्र0, में वन विभाग के माध्यम से जमा करें तथा जमा की गयी धनराशि का यू0टी0आर0 नम्बर, ऑनलाईन उत्पन्न पावती रसीद एवं बिन्दुवार अनुपालन आख्या 5 प्रति्यों में प्रस्तुत करने का कष्ट करें, जिससे उच्चाधिकारियों को अग्रसारित किया जा सके।

क्रम सं०	विवरण	मद	प्रस्तावित धनराशि (रु०में)
1	शर्त संख्या-2, 3 के अनुपालन में 15.80 हे० क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का रखरखाव/(सी0ए०)	(C.A) क्षतिपूर्क वृक्षारोपण	11,46,400.00
2	शर्त संख्या-7, के अनुपालन में 1.00 हे० क्षेत्र में औषधिय पौध वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का रखरखाव/(सी0ए०)	औषधिय पौध वृक्षारोपण	8,49,081.00
3	शर्त संख्या-4 के अनुपालन में प्रभावित संरक्षित वनभूमि 0.518 हे० का शुद्ध वर्तमान मूल्य (6.26 लाख प्रति हे० की दर से)/(एन0पी0वी0)	(N.P.V) शुद्ध वर्तमान मूल्य	3,24,268.00
		योग-	23,19,749.00

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 180.57 ha degraded forest land (94 ha in village - Bela, Tehsil- Marihan, District Mirzapur, 5 ha in village - Patehwa, Tehsil- Dala, District - Sonbhadra, 80 ha in village - Bharwar, Kharatiya, Mohani, Tehsil - Ghorawal, District - Mirzapur, 0.53 ha in village - Kapsethi, Tehsil- Varanasi, District- Varanasi, 1.04 ha along Lumbani Duddhi Road between km 268 to 270, District Jaunpur) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.
3. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.
4. The State Government shall charge the Net Present Value(NPV) for the 89.632 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006- FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.
5. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
6. User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.

7. The User agency in consultation with the State Forest Department prepare a detailed scheme for creation and maintenance of plantation of dwarf species (preferably medicinal plants) in right of way under the transmission line for execution of the said scheme to the State Forest Department.
8. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
9. The user agency at its cost shall provide bird deflector, which are to be fixed on upper conductor of transmission line at suitable intervals to avoid bird hits.
10. The User Agency shall comply with the guidelines for laying transmission lines through forest areas issued by Ministry vide letter no. 7-25/2012-FC dated 05/05/2014 & 19/11/2014.
11. User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
12. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
13. No labour camp shall be established on the forest land.
14. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
15. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
16. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
17. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
18. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
19. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
20. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11- 42/2017-FC dt 29/01/2018.
21. Undertaking to be given by the user agency for not initiating any works in Protected Area (PA) till clearance from NBWL is obtained. Concerned DFO should ensure that no works are executed in protected area (PA) till NBWL clearance is obtained.
22. If, clearance from NBWL is not granted then this In Principal approval shall stand revoked impromptu and no claim shall be made by user agency for works done in area outside protected area (PA).
23. DFO should certify that No works are executed in violation to Forest (Conservation) Act, 1980 in the said proposal.
24. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
25. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal.
26. The compliance report shall be uploaded on e-portal (<http://parivesh.nic.in/>).

भवदीय

(गिरीश चन्द्र त्रिपाठी)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर।

संख्या / समदिनांक

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि- वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी महोदय को उक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(गिरीश चन्द्र त्रिपाठी)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर।

पत्र संख्या - 1792/33-1,
सेवा में,

मीरजापुर, दिनांक दिसम्बर 26 2020.

✓ 10 ओबरा सी बदायूँ ट्रान्समिशन लि0
हाउस सं0 116, धीन पार्क,
मीरजापुर रोड, बरेली।

विषय: ओबरा सी बदायूँ ट्रान्समिशन लि0 द्वारा प्रभावित 400 के0वी0 डबल सर्किट जौनपुर-ओबरा पारंपण लाइन के निर्माण में कैमूर वन्यजीव प्रभाग मीरजापुर में प्रभावित 39.536 हे0 अरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा प्रभावित 585 वृक्षों एवं 17 बांस कोटी में से 310 वृक्षों एवं 09 बांस कोटी के पतन की अनुमति के सम्बन्ध में। (Online Proposal No. FP/UP/Trans/40906/2019)

सन्दर्भ: भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या सं0-8वीं/यू0पी0/04/90/2020/एफ0सी0/1071 दिनांक-07.12.2020।

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र जो आपको एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, के द्वारा विषयक प्रस्ताव के सापेक्ष कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश जारी की गयी है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के निर्देशानुसार क्षतिपूर्क वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 तथा प्रस्तावित लाईन के नीचे बौने (मुख्यतः औषधीय) पौधों के रोपण आदि की धनराशि e-portal के माध्यम से जमा कर एवं समस्त शर्तों की विन्धुवार अनुपालन आख्या पूर्ण कर चार प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें:-

1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 180.57 ha degraded forest land (94 ha in village - Bela, Tehsil- Marihan, District Mirzapur, 5 ha in village - Patehwa, Tehsil- Dala, District - Sonbhadra, 80.00ha. in village - Bhalswar, Khairatiya, Mohani, Tehsil - Ghorawal, District - Mirzapur, 0.53 ha in village - Kapsethi, Tehsil- Varanasi, District- Varanasi, 1.04 ha along Lumbani Duddhi Road between km 268 to 270, District Jaunpur) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	प्रयोक्ता अभिकरण के ध्य पर कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर द्वारा बेसवार, खैरटिया एवं मोहनी गांव, घोरावल रेंज के अन्तर्गत 80.00 हे0 अवनत वन भूमि पर स्थानीय देशी प्रजाति के वृक्षों का मिश्रित वृक्षारोपण किया जायेगा तथा मोनो कल्चर नहीं किया जायेगा।
3	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	परियोजना में प्रभावित हो रही 39.536 हे0 वन भूमि के दोगुने क्षेत्रफल अर्थात् 80.00 हे0 वन भूमि में दस वर्षों तक रखरखाव सहित क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु रु0 1,54,58,200/- (एक करोड़ चौबन लाख अष्टावन हजार दो सौ मात्र) की धनराशि ई पोर्टल https://parivesh.nic.in/ के माध्यम से कैम्पा फण्ड, नई दिल्ली में जमा कराये।

12	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित परियोजना का ले-आउट प्लान भारत सरकार के पूर्व अनुमति के बिना नहीं बदला जायेगा सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
13	No labour camp shall be established on the forest land.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि पारेषण लाइन निर्माण के दौरान कार्यरत श्रमिकों का वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।
14	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि पारेषण लाइन निर्माण के दौरान कार्यरत श्रमिकों हेतु पर्याप्त जलाऊ लकड़ी, अन्य वैकल्पिक ईंधन कय कर श्रमिकों को उपलब्ध कराया जायेगा।
15	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	प्रयोक्ता अभिकरण को प्रमाणीय वनाधिकारी, कैम्पूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर के निर्देशानुसार गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रस्तावित वन भूमि की सीमा को परियोजना की लागत पर समुचित रूप से सीमांकित किया जाय। सर्वे सीमांकन आर.सी. सी. पिलर का प्राक्कलन रु० 2,09,366.00 रुपये का संलग्न है।
16	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त अथवा नया मार्ग नहीं बनया जायेगा।
17	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	प्रयोक्ता अभिकरण के अवधि या सी जाने वाले पट्टे की अवधि, जो भी कम हो, पर लागू होगा।
18	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा कि प्रस्तावित परियोजना के अलावा अन्य किसी भी उद्देश्य/प्रयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा।
19	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा कि प्रस्तावित वन भूमि को किसी भी परिस्थिति में अन्य किसी भी विभाग, व्यक्ति अथवा संस्था को भारत सरकार के पूर्व अनुमति के बिना हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
20	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11- 42/2017-FC dt 29/01/2018.	सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा, तदनुसार भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की दिशा निर्देश एफओसी-11-42/2017-एफओसी/1071दिनांक- 29.01.2018 के अनुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
21	Undertaking to be given by the user agency for not initiating any works in Protected Area (PA) till clearance from NBWL is obtained. Concerned DFO should ensure that no works are executed in protected area (PA) till NBWL clearance is obtained.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा कि संरक्षित क्षेत्र में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के अनुमति के बगैर कोई भी कार्य आरम्भ नहीं की जायेगी।
22	If, clearance from NBWL is not granted then this In Principal approval shall stand stand revoked impromptu and no claim shall be made by user agency for works done in area outside protected area (PA).	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा कि संरक्षित क्षेत्र में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के अनुमति/स्वीकृति न मिलने पर गैर संरक्षित क्षेत्र में किये गए कार्य पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कोई दावा नहीं किया जायेगा।

23	DFO should certify that No works are executed in violation to Forest (Conservation) Act, 1980 in the said proposal.	प्रयोक्ता अभिकरण यह सुनिश्चित करें कि प्रस्ताव में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन न हो।
24	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा और विकास के लिये समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
25	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समस्त धनराशि ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से केवल CAMPA फंड में हस्तांतरित/जमा की जायेगी।
26	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in).	अनुपालन आख्या ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जाएगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अग्रतार कार्यवाही की जा सके।

सेलिंग नमूना

भवदीय

(आशुतोष जायसवाल)

प्रभागीय वनाधिकारी

कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर

संख्या

समदिनांक

- 1 प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, उ०प्र०, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2 प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आशुतोष जायसवाल)

प्रभागीय वनाधिकारी

कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर

सर्वे सीमांकन एवं वन सीमा स्तम्भों की स्थापना कार्य

ओबरा-सी बदायूँ ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित 400 केवी0 डबल सर्जिट जॉनपुर-ओबरा पररेषण लाइन निर्माण हेतु कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर में प्रभावित 39.536 हे० आरक्षित वन भूमि को गैर वाणिज्यी प्रयोग तथा प्रभावित 585 वृक्षों एवं 17 बॉस कोटी में से 310 वृक्षों एवं 9 बॉस कोटी के घातन के सम्बन्ध में जनपद सोनमद में प्रत्यावर्तित 39.536 हे० आरक्षित वन भूमि की सीमा को परियोजना की लागत पर समुचित रूप से सीमांकन किये जाने हेतु प्रॉक्कलन

कुल वन सीमा सर्वे कार्य - 8.595 किमी०
सीमा स्तम्भ स्थापना हेतु चिन्हांकन - 20 सीमा स्तम्भ
इन्डिकेटर स्थापना हेतु चिन्हांकन - 70 इन्डीकेटर

क्र० सं०	कार्य विवरण	इकाई	मात्रा	दर	घनराशि	अनुसूची दर
1	सर्वे कार्य	प्र०घेन	429.75	8.60	2836.35	
2	सीमा स्तम्भ एवं इन्डिकेटर स्थापना हेतु चिन्हांकन	प्रति	90	1.48	133.20	
				योग	2969.55	

सीमा स्तम्भ कार्य की स्थापना

क्र० सं०	कार्य का नाम	संख्या	लम्बाई	घोड़ाई	ऊँचाई / गहराई	कार्य मात्रा	इकाई	दर	घनराशि	पी०डब्ल्यू०डी० अनुसूची दर
1	नींव का खुदान, सीमा स्तम्भ स्थापना हेतु पहाड़ी / पथरीला	20	0.50	0.50	0.50	3	घण्टी०	110	275.00	252
2	1:2:4 सीमेंट बालू 2एम०एम०पत्थर मिट्टी से कांक्रिटोन कार्य	20	0.50	0.50	0.50	3.00	घण्टी०	6400	19200.00	282
		20	0.433	0.433	0.50	1.88	घण्टी०	6400	12032.00	282
3	1:2:4 सीमेंट बालू 20 एम०एम० मिट्टी से सीमा स्तम्भ निर्माण	20	0.25	0.25	1	1	घण्टी०	6600	8250.00	283
4	सीमा स्तम्भ हेतु लोहा सारिया का मूल्य	20	0	0	0.16	3	कुन्सल	4500	13500.00	502
5	स्तारटर कार्य 1:4 सीमेंट बालू मसाला से	20x4	0.00	0.25	1.00	20	घण्टी०	128	2560.00	584
		20x1	0.25	0.25	0.00	1.25	घण्टी०	128	160.00	584
6	सीमा स्तम्भ की पुताई संकेद सीमेंट से	20	0.00	0.00	0	20	प्रति	67	1340.00	662
	इन्डिकेटर									
7	सीमा स्तम्भ में लाल-हरा पेंटिंग एवं सीमा स्तम्भ पर वन विभाग को जी०पी०एस० न० एवं संख्या लिखवाई कार्य	70	0.00	0.00	0	70	प्रति	50	3500.00	-
8	इन्डिकेटर पत्थर का कस मूल्य	70	0.25	0.25	0.70	70	प्रति	825	57750.00	-
9	इन्डिकेटर पत्थर का साइड तक डुलान कार्य	70	0.00	0.00	0	70	प्रति	56.60	3962.00	-
10	इन्डिकेटर पत्थर पीलर का सिरयोजन द्वारा साइड से कार्य स्थल तक डुलान एवं लगाना	70	0.00	0.00	0	70	प्रति	8.20	574.00	-
11	इन्डिकेटर पत्थर पीलर पर नम्बर डालना	70	0.00	0.00	0	70	प्रति	4.30	301.00	-
12	अन्य आकस्मिक व्यय					20	प्रति किमी	160	3200.00	-
	योग									
	कुल योग (सर्वे तथा सीमा स्तम्भों की स्थापना का योग)								128604.00	
	सम्पूर्ण योग								2969.55	
	या								129573.55	
									130000.00	

वर्ष 2016 से प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि को शामिल करते हुये दर वर्ष 2021 के लिये रुपये 209366.00 मात्र (दो लाख नौ हजार तीन सौ छठ्ठ रुपये)

प्रभागीय प्रशासिकारी,
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।

पत्रांक 1571/ओबरा/15 भू0ह0

दिनांक, 23-12-2020.

सेवा में,

✓ भू0 ओबरा सी बदायू ट्रान्समिशन लि0,
हाउस सं0 116, ग्रीन पार्क,
बीसालपुर रोड, बरेली।

विषय:- ओबरा सी बदायू ट्रान्समिशन लि0 द्वारा प्रभावित 400 के0वी0 डबल सर्किट जौनपुर-ओबरा पारेषण लाइन के निर्माण में ओबरा वन प्रभाग में प्रभावित 2.434 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।
(Online Proposal No. FP/UP/Trans/40906/2019)

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या सं0 --8बी/यू0पी0/04/90/2020/एफ0सी0/1071 दिनांक-07.12.2020 तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक-1379/11-सी दिनांक-10.12.2020.

महोदय,

अवगत कराना है कि ओबरा सी बदायू ट्रान्समिशन लि0 द्वारा प्रभावित 400 के0वी0 डबल सर्किट जौनपुर-ओबरा पारेषण लाइन के निर्माण में ओबरा वन प्रभाग में प्रभावित 2.434 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या सं0-8बी/यू0पी0/04/90/2020/एफ0सी0/1071 दिनांक-07.12.2020 द्वारा 26 (छब्बीस) शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है।

उक्त के कम में आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश दिनांक-07.12.2020 में अंकित समस्त शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या टेबुलर फार्म में निम्नानुसार पाँच प्रतियों में आवश्यक अभिलेखों सहित उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे कि प्रकरण में विधिवत स्वीकृति जारी करने हेतु अनुपालन आख्या उच्च स्तर के माध्यम से भारत सरकार की सेवा में प्रेषित किया जा सकें:-

क्र0 सं0	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या-8बी/यू0पी0/04/90/2020/ एफ0सी0/1071 दिनांक- 07.12.2020 में अंकित शर्तों का विवरण	अनुपालन आख्या प्रेषित किया जाना है उसका विवरण
-------------	--	---

1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	इस शर्त के अनुपालन में वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 180.57 ha degraded forest land (94 ha in village – Bela, Tehsil-Marihan, District Mirzapur, 5 ha in village – Patehwa, Tehsil- Dala, District – Sonbhadra, 80 ha in village – Bharwar, Kharatiya, Mohani, Tehsil – Ghorawal, District – Mirzapur, 0.53 ha in village – Kapsethi, Tehsil- Varanasi, District-Varanasi, 1.04 ha along Lumbani Duddhi Road between km 268 to 270, District Jaunpur) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकाण के व्यय पर ओबरा वन प्रभाग, डाला रेंज के अन्तर्गत ग्राम-पटवाटोला (कोटा) में 5.00 हे० अवनत वन भूमि पर स्थानीय देशी प्रजाति के वृक्षों का मिश्रित वृक्षारोपण करते हुये किया जायेगा।
3	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	इस शर्त के अनुपालन में परियोजना में प्रभावित होने वाले 2.434 हे० वन भूमि के दोगुने क्षेत्रफल अर्थात् 5.0 हे० वन भूमि में दस वर्षों तक रखरखाव सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रु० 147320.00रुपये प्रति हे० की दर से, रु० 7,36,600/- (सात लाख छत्तीस हजार छह सौ मात्र) की धनराशि ई पोर्टल https:// parivesh.nic.in/ के माध्यम से कैम्पा फण्ड, नई दिल्ली में जमा कराते हुए उसकी सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाय।

4	<p>The State Government shall charge the Net Present Value(NPV) for the 89.632 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006- FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.</p>	<p>इस शर्त के अनुपालन में परियोजना में प्रभावित होने वाली 2.434 हे० वन भूमि का 626000 रुपये प्रति हे० की दर से रु० 15,23,684/- (पन्द्रह लाख तेईस हजार छह सौ चौरासी मात्र) एन०पी०वी० की धनराशि ई-पोर्टल https:// parivesh.nic.in/ के माध्यम से कैम्पा फण्ड, नई दिल्ली में जमा कराते हुए उसकी सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाय।</p>
5	<p>Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.</p>	<p>इस शर्त के अनुपालन में इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि भविष्य में यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकाण द्वारा जमा की जायेगी।</p>
6	<p>User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.</p>	<p>इस शर्त के अनुपालन में ओबरा वन प्रभाग में पारिषण लाइन के निर्माण में कोई वृक्ष बाधक नहीं हैं, से सम्बन्धित प्रमाण पत्र उपलब्ध करायी जाय।</p>

7	The User agency in consultation with the State Forest Department prepare a detailed scheme for creation and maintenance of plantation of dwarf species (preferably medicinal plants) in right of way under the transmission line for execution of the said scheme to the State Forest Department.	इस शर्त के अनुपालन में पारेषण लाइन के नीचे बौनी प्रजातियों का वृक्षारोपण कराये जाने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र उपलब्ध करायी जाय।
8	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकाण पूर्ण विवरण सहित वन अधिकार अधिनियम 2006 का प्रमाण पत्र उपलब्ध करायी जाय।
9	The user agency at its cost shall provide bird deflector, which are to be fixed on upper conductor of transmission line at suitable intervals to avoid bird hits.	इस शर्त के अनुपालन में इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे की वे आपनी लागत पर पक्षी निक्षेपको (bird deflector) का उपयोग उपयुक्त अंतराल पर पारेषण लाइन के ऊपरी कंडक्टर में करेंगे।
10	The User Agency shall comply with the guidelines for laying transmission lines through forest areas issued by Ministry vide letter no. 7-25/2012-FC dated 05/05/2014 & 19/11/2014.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकाण को वन क्षेत्र में पारेषण लाइन बिछाने के दौरान भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या सं0 7-25/2012 एफ0 सी0, दिनांक 05.05.2014 एवं 19.11.2014 के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाय।
11	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकाण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत यदि आवश्यक हो तो अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।
12	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकाण द्वारा प्रस्तावित परियोजना का लेआउट प्लान भारत सरकार के पूर्व अनुमति के बिना नहीं बदला जायेगा, सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र

		प्रस्तुत किया जाय।
13	No labour camp shall be established on the forest land.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकाण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि पारेषण लाइन निर्माण के दौरान कार्यरत श्रमिकों का वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।
14	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकाण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि पारेषण लाइन निर्माण के दौरान कार्यरत श्रमिकों हेतु पर्याप्त जलाऊ लकड़ी, अन्य वैकल्पिक ईंधन कय कर श्रमिकों को उपलब्ध कराया जायेगा।
15	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	इस शर्त के अनुपालन में परियोजना में प्रभावित हो रही 2.434 हे० वन भूमि की सीमा को परियोजना के लागत पर समुचित रूप से सीमांकन किया जाना है।
16	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	इस शर्त के अनुपालन में इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त अथवा नया मार्ग नहीं बनया जायेगा।
17	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	इस शर्त के अनुपालन में परियोजना की अवधि प्रयोक्ता अभिकाण या परियोजना के अवधि के पक्ष में दी जाने वाले पट्टे की अवधि जो भी कम हो, पर लागू होगा।
18	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	इस शर्त के अनुपालन में इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा कि प्रस्तावित परियोजना के अलावा अन्य किसी भी उद्देश्य/प्रयोजन हेतु प्रभावित वन भूमि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा।

19	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	इस शर्त के अनुालन में प्रयोक्ता अभिकाण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा की प्रस्तावित वन भूमि को किसी भी परिस्थिति में अन्य किसी भी विभाग, व्यक्ति अथवा संस्था को भारत सरकार के पूर्व अनुमति के बिना हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
20	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.	इस शर्त के अनुालन में सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा तदनुसार भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की दिशानिर्देश एफ0स0 11-42/2017-एफ0 सी0/1071 दिनांक-29.01.2018 के अनुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
21	Undertaking to be given by the user agency for not initiating any works in Protected Area (PA) till clearance from NBWL is obtained. Concerned DFO should ensure that no works are executed in protected area (PA) till NBWL clearance is obtained.	इस शर्त के अनुालन में इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा की संरक्षित क्षेत्र में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अनुमति के बगैर कोई भी कार्य आरम्भ नहीं की जायेगी।
22	If, clearance from NBWL is not granted then this In Principal approval shall stand stand revoked impromptu and no claim shall be made by user agency for works done in area outside protected area (PA).	इस शर्त के अनुालन में प्रयोक्ता अभिकाण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा की संरक्षित क्षेत्र में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अनुमति/ स्वीकृति ना मिलने पर गैर संरक्षित क्षेत्र में किये गए कार्य पर प्रयोक्ता अभिकाण द्वारा कोई दावा नहीं किया जायेगा।
23	DFO should certify that No works are executed in violation to Forest (Conservation) Act, 1980 in the said proposal.	इस शर्त के अनुालन में यह सुनिश्चित करें की प्रस्ताव मे वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन ना हो।
24	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	इस शर्त के अनुालन में इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा की भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा और विकास के लिये समय समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

25	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal.	इस शर्त के अनुपालन में समस्त धनराशि ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से केवल CAMPA फंड में हस्तांतरित/जमा की जायेगी।
26	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	अनुपालन आख्या ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जाएगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि विधिवत स्वीकृति जारी करने हेतु अनुपालन आख्या उच्च स्तर पर प्रेषित किया जा सके।

भवदीय

(प्रखर मिश्रा)

प्रभागीय वनाधिकारी,

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा, सोनभद्र

संख्या— अ/समदिनांकित ।

प्रतिलिपि:—मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्रखर मिश्रा)

प्रभागीय वनाधिकारी

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा—सोनभद्र।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

पत्रांक- 2345 /मीरजापुर/ 15, दिनांक, मीरजापुर, दिसम्बर। 8 2020
सेवा में,

महाप्रबन्धक,
ओबरा-सी, बदायूँ ट्रांसमिशन लिमिटेड,
मकान नं०-118, ग्रीन पार्क कालोनी,
बिलासपुर रोड, बरेली -243008 उत्तर प्रदेश

विषय- ओबरा-सी बदायूँ ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित 400 के०वी० डबल सर्किट जौनपुर-ओबरा पारेषण लाइन के निर्माण में मीरजापुर वन प्रभाग में प्रभावित 46.879 हे० आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा प्रभावित 364 वृक्षों एवं 494 बॉस कोटी में से 238 वृक्षों एवं 290 बॉस कोटी के पातन के सम्बन्ध में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ-1- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ, के पत्र संख्या-8बी/यू०पी०/०४/९०/२०२०/एफ०सी०/१०७१, दिनांक ०७.१२.२०२०।
2- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ का पत्र संख्या-1379/११-सी-FP/UP/TRANS/40906/2019, लखनऊ दिनांक १०.१२.२०२०।

महोदय,

ओबरा-सी बदायूँ ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित 400 के०वी० डबल सर्किट जौनपुर-ओबरा पारेषण लाइन के निर्माण में मीरजापुर वन प्रभाग में प्रभावित 46.879 हे० आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा प्रभावित 364 वृक्षों एवं 494 बॉस कोटी में से 238 वृक्षों एवं 290 बॉस कोटी के पातन के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ, के पत्र संख्या-8बी/यू०पी०/०४/९०/२०२०/एफ०सी०/१०७१, दिनांक ०७.१२.२०२० (छाया प्रति संलग्न) द्वारा उसमें उल्लिखित 26 शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है उक्त शर्तों का अनुपालन करते हुये वांछित धनराशि, ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई-चालान द्वारा जमा कर सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या टेबुलर फार्म में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के निर्देशानुसार ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड करते हुये प्रत्येक शर्त के सम्बन्ध में अलग-अलग अनुपालन आख्या/प्रमाण पत्र/अण्डरटेकिंग/चालान की प्रति दिनांक सहित (RTGS/NIFT की रसीद, UTR नम्बर, बैंक का नाम व ब्राच का पता व दिनांक सहित) 05 प्रतियों में मूल में इस कार्यालय को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करावें।

Sl.	Condition	Status of Compliance												
1-	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति से कोई परिवर्तन नहीं होगा।												
2-	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 180.57 ha degraded forest land (94 ha. in village – Bela , Tehsil- madihan , Distrit – mirzapur, 5 ha. in Village – Patchwa , Tehsil- Dala , Distrit – Sonbhadra , 80 ha. in village – Bharwar – kharatiya, mohani , Tehsil- Ghorawal , District Mirzapur, 0.53 ha. in village- Kapsethi , Tehsil – Varanasi , Dist. Varanasi 1.04 ha. along Lumbani Duddhi Road between Km.268 to 270 District – Jaunpur at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of loca indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	<p>प्रयोक्ता एजेंसी के व्यय पर वन विभाग, मीरजापुर द्वारा मीरजापुर वन प्रभाग के मड़िहान रेंज अन्तर्गत ग्राम– बेला, तहसील–मड़िहान, जिला मीरजापुर में 94.00 हे० अवनत वन भूमि पर स्थानीय देशी प्रजाति के वृक्षों का मिश्रित वृक्षारोपण करते हुये मोनो कल्चर को टाला जायेगा।</p> <table><tr><th>क्र.सं.</th><th>रेंज</th><th>ग्राम</th><th>बीट</th><th>क०न०</th><th>अवनत वन भूमि का क्षेत्रफल</th></tr><tr><td>1</td><td>मड़िहान</td><td>बेला</td><td>बेला</td><td>बेला क०न०–5, 6</td><td>94.00</td></tr></table>	क्र.सं.	रेंज	ग्राम	बीट	क०न०	अवनत वन भूमि का क्षेत्रफल	1	मड़िहान	बेला	बेला	बेला क०न०–5, 6	94.00
क्र.सं.	रेंज	ग्राम	बीट	क०न०	अवनत वन भूमि का क्षेत्रफल									
1	मड़िहान	बेला	बेला	बेला क०न०–5, 6	94.00									
3-	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate	<p>प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन विभाग के पक्ष में 94.00 हे० अवनत वन भूमि पर वृक्षों का वृक्षारोपण एवं दस वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक प्रॉक्कलित धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित)रु० 1,22,73,674.00 (एक करोड़ बाइस लाख तिहत्तर हजार छः सौ चौहत्तर) की धनराशि पर उ०प्र० शासन वित्त (लेखा) अनुभाग–2 लखनऊ के शासनादेश</p>												

	provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	संख्या-ए-2-1606/ दस/2014-17(4)/ 75 लखनऊ दिनांक 11.11.2014 के अनुसार उक्त पर 6.875 प्रतिशत सेंटेज चार्ज रु0 1,22,73,674 + 6.875% = 1,31,17,489.00(एक करोड़ इकतीस लाख सत्तरह हजार चार सौ नवासी रुपये मात्र) की वांछित धनराशि 'CAMPa' मद में ई-पोर्टल के माध्यम से (e-portal(https://parivesh.nic.in)) उत्पन्न ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।
4-	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 89.632 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated (30/10/2002,01/08/2003, 28/03/2008,24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/ 1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC(Pl.II)dated 18/09/ 2003, as well as letter No.5-2/2006-FCdated 03/10/ 2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009) in this regard.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय, के आदेश दिनांक (30-10-2002, 01-08-2003, 28-03-2008, 24-04-2018 and 09-05-2008 in IA no. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letter no. 5-1/1998-FC-(PT) dated 03-10-2006 and letter no. 5-2/2007-FC dated 05-02-2009) के अनुसार पारेषण लाइन के निर्माण से मीरजापुर वन प्रभाग की प्रभावित 46.879 हे0 आरक्षित वन भूमि का नेट प्रेजेंट वैल्यू (NPV) 6.26 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से 6.26 लाख X 46.879= 2,93,46,254.00(दो करोड़ तिरानबे लाख छियालिस हजार दो सौ चौवन रुपये मात्र) की वांछित धनराशि CAMPa मद में ई-पोर्टल के माध्यम से (e-portal(https://parivesh.nic.in)) उत्पन्न ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।
5-	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an under taking to this effect.	प्रयोक्ता अभिकरण ओबरा-सी, बदायूँ ट्रांसमिशन लिमिटेड, बरेली अधिकारी को यह अण्डरटेकिंग देनी होगी कि यदि इस अवधि में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एक्सपर्ट समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर यदि एन0पी0वी0 दर संशोधित होती है, तो बढ़ी हुयी धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण ओबरा-सी,बदायूँ ट्रांसमिशन लिमिटेड, बरेली को जमा करना होगा।
6-	User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	प्रयोक्ता अभिकरण ओबरा-सी, बदायूँ ट्रांसमिशन लिमिटेड, बरेली द्वारा पारेषण लाइन के निर्माण हेतु प्रस्तावित/चिन्हित वन भूमि पर स्थित पारेषण लाइन के निर्माण में बाधक पातन किये जाने वाले वृक्षों में से न्यूनतम/अपरिहार्य वृक्षों का ही पातन कराया जाय तथा बाधक वृक्षों का पातन वन विभाग की सख्त निगरानी में उ0प्र0 वन निगम द्वारा किया जायेगा एवं पातन की विभिन्न प्रक्रिया हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा कटिंग फेलिंग लांगिंग एवं ट्रांसपोर्टेशन चार्ज का भुगतान उ0प्र0 वन निगम को करना होगा। वृक्षों के छपान का व्यय का भुगतान प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग,मीरजापुर को करना होगा।
7-	The User agency in consultation with the State Forest Department prepare a detailed scheme for creation and maintenance of plantation of dwarf species (preferably medicinal plants) in right of way under the transmission line and deposit the cost for execution of the said scheme to the State Forest Department.	प्रयोक्ता अभिकरण ओबरा-सी, बदायूँ ट्रांसमिशन लिमिटेड, बरेली द्वारा प्रस्तावित पारेषण लाइन के नीचे/ Right of way में 46. 879 हे0 क्षेत्र में बौने प्रजातियों (मुख्यतः औषधीय पौधों) के रोपड़ एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक प्राककलित धनराशि (वर्तमान दरों का समाहित करते हुये यथा संशोधित) रु0 61,21,038.00 (इकसठ लाख इक्कीस हजार अठतीस रुपये मात्र) की धनराशि पर उ0प्र0 शासन, वित्त (लेखा) अनुभाग-2 लखनऊ के शासनादेश संख्या-ए-2-1606/ दस/ 2014-17/ 75 लखनऊ दिनांक 11.11.2014 के अनुसार उक्त पर 6.875 प्रतिशत सेंटेज चार्ज सेंटेज चार्ज 61,21,038 +6.875%= रु0 65,41,859.00 (पैंसठ लाख इकतालीस हजार आठ सौ उनसठ रुपये मात्र) की वांछित धनराशि 'CAMPa' मद में ई-पोर्टल के माध्यम से (e-

		portal (https:// parivesh.nic.in) उत्पन्न ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।
8-	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	प्रयोक्ता अभिकरण ओबरा-सी, बदायूँ ट्रांसमिशन लिमिटेड, बरेली द्वारा अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिलाधिकारी से निर्धारित प्रमाणपत्र प्राप्त कर पूर्ण अनुपालन किया जाय।
9-	The user agency at its cost shall provide bird deflectors, which are to be fixed on upper conductor of transmission line at suitable intervals to avoid bird hits.	प्रयोक्ता अभिकरण ओबरा-सी, बदायूँ ट्रांसमिशन लिमिटेड, बरेली द्वारा अपनी लागत पर पक्षी निक्षेपको (Bird deflectors) का उपयोग उपयुक्त अंतराल पर ट्रांसमिशन लाइन के ऊपरी कण्डक्टर में लगाया जायेगा। जिससे पारेषण लाइन के विद्युत प्रवाह से पक्षियों का बचाव हो सके।
10-	The User Agency shall comply with the guideline for laying transmission lines through forest areas issued by Ministry vide letter no. 7-25/20 12-FC dated 05/05/2014 & 19/ 11/2014.	प्रयोक्ता अभिकरण ओबरा-सी, बदायूँ ट्रांसमिशन लिमिटेड, बरेली को वन क्षेत्र में पारेषण लाइन बिछाने के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या-7-25/2012FC, दिनांक 05.05.2014 एवं दिनांक 19.11.2016 के द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
11-	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	प्रयोक्ता अभिकरण ओबरा-सी, बदायूँ ट्रांसमिशन लिमिटेड, बरेली को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (Environmental Protection Act, 1986) के तहत यदि आवश्यक हो पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।
12-	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	प्रयोक्ता अभिकरण ओबरा-सी, बदायूँ ट्रांसमिशन लिमिटेड, बरेली द्वारा प्रस्तावित परियोजना का लेआउट प्लान भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पूर्व अनुमति के बिना नहीं बदला जायेगा।
13-	No labour camp shall be established on the forest land.	प्रयोक्ता अभिकरण ओबरा-सी, बदायूँ ट्रांसमिशन लिमिटेड, बरेली द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि पारेषण लाइन निर्माण के दौरान पारेषण लाइन में कार्यरत श्रमिकों का वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाय।
14-	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	प्रयोक्ता अभिकरण ओबरा-सी, बदायूँ ट्रांसमिशन लिमिटेड, बरेली द्वारा पारेषण लाइन में कार्यरत श्रमिकों हेतु पर्याप्त जलाऊ लकड़ी, अन्य वैकल्पिक ईंधन, उ०प्र० वन निगम या अन्य कानूनी स्रोतों से ईंधन कय कर श्रमिकों को उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
15-	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	प्रयोक्ता अभिकरण ओबरा-सी, बदायूँ ट्रांसमिशन लिमिटेड, बरेली को प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर के निर्देशानुसार गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रस्तावित वन भूमि की सीमा को परियोजना की लागत पर समुचित रूप से सीमांकन किया जाय। सर्वे सीमांकन आर०सी०सी० पीलर का प्रॉक्कलन मु० 2,69,144.00 (दो लाख उनहत्तर हजार एक सौ चौवालिस रुपये मात्र) का संलग्न है।
16-	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction material for execution of the project work.	प्रयोक्ता अभिकरण ओबरा-सी, बदायूँ ट्रांसमिशन लिमिटेड, बरेली द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त अथवा नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
17-	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	इस अनुमोदन के तहत डायवर्जन की अवधि उपयोगकर्ता एजेंसी या परियोजना के जीवन के पक्ष में लीज की अवधि के साथ सह-टर्मिनस होगी (डायवर्जन की अवधि लीज की अवधि के साथ

18-	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	समाप्त हो जायेगी), जो भी कम हो। प्रयोक्ता अभिकरण, ओबरा-सी, बदायूँ ट्रांसमिशन लिमिटेड, बरेली द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रस्तावित परियोजना के अलावा अन्य किसी भी उद्देश्य/प्रयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा।
19-	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	प्रयोक्ता अभिकरण ओबरा-सी, बदायूँ ट्रांसमिशन लिमिटेड, बरेली द्वारा प्रस्तावित परेषण लाइन हेतु प्रस्तावित वन भूमि को किसी भी परिस्थिति में अन्य किसी भी विभाग, व्यक्ति अथवा संस्था को भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पूर्व अनुमति के बिना हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
20-	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11 -42/20 17-FC date 29/01/20 18.	सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा तदनुसार MoEF & CC Guideline F.no. 11-42/2017-FC dt. 29-01-2018 के अनुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
21-	Undertaking to be given by the user agency for not initiating as works in protected area (P.A) till clearance from NBWL is obtained . Concerned DFO should ensure that no work are executed in Protected area (P.A) till NBWL clearance is obtained .	प्रस्तावक संस्था द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र दिया जाय कि NBWL से मंजूरी मिलने तक संरक्षित क्षेत्र में कार्य का निष्पादन न किया जाय।
22-	If, clearance from NBWL is not granted then this In Principal approval shall stand stand revoked impromptu and no claim shall be made by user agency for works done in area outside protected area (PA).	NBWL से स्वीकृति न मिलने की स्थिति में प्रकरण में प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी। इस स्थिति में संरक्षित क्षेत्र के बाहर किये गये कार्य के लिये प्रस्तावक द्वारा कोई दावा नहीं किया जायेगा।
23-	DFO should certify that No works are executed in violation to Forest (Conservation) Act, 1980 in the said proposal.	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाय कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
24-	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	प्रयोक्ता अभिकरण, ओबरा-सी, बदायूँ ट्रांसमिशन लिमिटेड, बरेली को भारत सरकार , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा संरक्षण और विकास के लिये समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
25-	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through portal.	प्रयोक्ता अभिकरण ओबरा-सी, बदायूँ ट्रांसमिशन लिमिटेड, बरेली द्वारा समस्त धनराशि ई-पोर्टल के माध्यम से (e-portal (https://parivesh.nic.in)) उत्पन्न ई-चालान 'CAMPA' मद में स्थानान्तरित / जमा की जायेगी।
26-	The compliance report shall be uploaded on e-portal(https://parivesh.nic.in/).	उपरोक्त शर्तों/प्रतिबंधों का अनुपालन करते हुये अनुपालन आख्या ई-पोर्टल(https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड की जाय।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

संख्या अ/समदिनांक

1. प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

सर्वे सीमांकन एवं वन सीमा स्तम्भों की स्थापना कार्य

ओबरा-सी बदायूँ ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित 400 केवी0 डबल सर्किट जौनपुर-ओबरा पारंपण लाइन निर्माण हेतु मीरजापुर वन प्रभाग में प्रभावित 46.879 हे0 आरक्षित एवं सरक्षित वन भूमि के चार पानिकी प्रयोग तथा प्रभावित 364 वृक्षों एवं 494 बॉस कोटी में से 238 वृक्षों एवं 290 बॉस कोटी के पातन के सम्बन्ध में जनपद मीरजापुर में प्रत्यावर्तित 46.778 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 0.101 हे0 सरक्षित वन भूमि की सीमा को परियोजना की लागत पर समुचित रूप से सीमांकन किये जाने हेतु प्रॉक्कलन

कुल वन सीमा सर्वे कार्य - 10.00 किमी0
सीमा स्तम्भ स्थापना हेतु चिन्हांकन - 20 सीमा स्तम्भ
इन्जीकेटर स्थापना हेतु चिन्हांकन - 20 इन्जीकेटर

क्र0 सं0	कार्य विवरण	इकाई	मात्रा	दर	घनराशि	अनुसूची दर
1	सर्वे कार्य	प्र0चैन	500	6.60	3300.00	
2	सीमा स्तम्भ एवं इन्जीकेटर स्थापना हेतु चिन्हांकन	प्रति	40	1.48	59.20	
				योग	3359.20	

सीमा स्तम्भ कार्य की स्थापना

क्र0 सं0	कार्य का नाम	संख्या	लम्बाई	चौड़ाई	ऊँचाई / गहराई	कार्य मात्रा	इकाई	दर	घनराशि	पी0डब्ल्यू0की0 अनुसूची दर
1	नींव का खुदान, सीमा स्तम्भ स्थापना हेतु पहाड़ी / पथरीला	20	0.50	0.50	0.50	3	घण्टी0	110	275.00	252
2	1'24 सीमेंट बालू 2एम0एम0पत्थर मिट्टी से कंक्रीटिंग कार्य	20	0.50	0.50	0.60	3.00	घण्टी0	6400	19200.00	282
		20	0.433	0.433	0.50	1.88	घण्टी0	6400	12032.00	282
3	1'24 सीमेंट बालू 20 एम0एम0 मिट्टी से सीमा स्तम्भ निर्माण	20	0.25	0.25	1	1	घण्टी0	6600	8250.00	283
4	सीमा स्तम्भ हेतु लोहा सिरिया का मूल्य	20	0	0	0.15	3	कुत्तल	4500	13500.00	502
5	प्लास्टर कार्य 1:4 सीमेंट बालू मसाला से	20x4	0.00	0.25	1.00	20	घण्टी0	128	2560.00	584
		20x1	0.25	0.25	0.00	1.25	घण्टी0	128	160.00	584
6	सीमा स्तम्भ की पुलाई सफेद सीमेंट से	20	0.00	0.00	0	20	प्रति	67	1340.00	662
	इन्जीकेटर	20	0.00	0.00	0	20	प्रति	50	1000.00	
7	सीमा स्तम्भ में साल-इरा पेंटिंग एवं सीमा स्तम्भ पर वन विभाग को जी0पी0एस0 नम0 एवं संख्या लिखवाई कार्य	20	0.00	0.00	0	20	प्रति	50	1000.00	-
8	इन्जीकेटर पत्थर का क्रय मूल्य	20	0.25	0.25	0.70	20	प्रति	825	16500.00	-
9	इन्जीकेटर पत्थर का साइड तक ढुलान कार्य	20	0.00	0.00	0	20	प्रति	56.60	1132.00	-
10	इन्जीकेटर पत्थर पीलर का सिरबोझ द्वारा साइड से कार्य स्थल तक ढुलान एवं लगाना	20	0.00	0.00	0	20	प्रति	8.20	164.00	-
11	इन्जीकेटर पत्थर पीलर पर नम्बर डालना	20	0.00	0.00	0	20	प्रति	4.30	86.00	-
12	अन्य आकारिक व्यय					10	प्रति/किमी	160	1600.00	-
	योग								78799.00	
	कुल योग(सर्वे तथा सीमा स्तम्भों की स्थापना का योग)								3359.20	
	सम्पूर्ण योग								82158.20	
	या								82000.00	

प्रति किमी0 घनराशि 780-8200.00 रुपये

प्रति वर्ग 10 प्रतिशत की शुद्धि को शामिल करते हुये प्रति किमी0 दर वर्ष 2021 के लिये रुपये 13205.00 मात्र (तेरह हजार दो सौ पाँच रुपये)

कुल लम्बाई = 10.191 x 2.00 = 20.382 किमी0

कुल घनराशि = 20.382 x 13205 = 2,69,144.00 (दो लाख उनहत्तर हजार एक सौ चौवलिस मात्र)

प्रति हस्ताक्षरित

मुख्य उप निरीक्षक
मीरजापुर वन
मीरजापुर

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर